COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(78)

माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व बोर्ड, ग्वालियर केम्प कोर्ट, उज्जैन म.प्र.

निग - 2013-PBR-16

प्रकरण क्र. / 2016 निगरानी

बलरामसिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत, निवासी एव कृषक ग्राम चॉदनगांव तहसील व जिला आगर—मालवा म.प्र.

..........निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1 ओमप्रकाश पिता श्री मांगीलाल, जाति राजपूत, निवासी-- ग्राम चॉदनगांव तहसील व जिला आगर--मालवा म.प्र.

2 म.प्र.शासन

..........अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 के अन्तर्गत न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, उप तहसील कानड़ जिला आगर--मालवा के प्रकरण क्रमांक 15—अ—12 / 2015—16 के आदेश दिनांक 11 / 04 / 2016 से व्यथित होकर यह निगरानी अन्दरअवधि प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकता ग्राम चॉदनगांव तहसील आगर स्थित भूमि सर्वे क्र. 472 रकबा 0.06 हेक्टर का स्वामी व आधिपत्यधारी है तथा इसी से लगा हुआ, सर्वे क्र. 471 रकबा 0.06 हेक्टर भूमि का स्वामी निगरानीकर्ता का भाई दुलेसिंह है दोनो नम्बर पास--पास स्थित है तथा उक्त दोनो सर्वे नम्बर बंदोबस्त के पूर्व सर्वे क्र. 422 व 424 / 2 शामिलाती रकबा 0.126 से बने हुए है तथा निगरानीकर्ता के भाई के द्वारा उक्त भूमि देवीसिंह पिता रूगनाथसिंह व मेहताब बाई विधवा रूगनाथसिंह जाति राजूपत निवासी--चॉदनगांव से क्रय की थी, तथा उसी के पास से निगरानीकर्ता तथा उनके भाई अपने अपने हिस्से की भूमि

निरन्तर......2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला - आगर मालवा

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2043-पीबीआर/16

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज राठौर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	